77 24 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों जिनके लिए सरकार ने पुनरूद्धार पैकेज का अनुमोदन किया उन उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों/कार्यात्मक निदेशकों के लिए प्रोत्साहन योजना

राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एनसीएमपी) अन्य बातों के साथ साथ यह उल्लेख करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण कम्पनियों को आधुनिक एवं पुनर्गठन करने तथा रूग्ण उद्योग का पुनरूद्धार करने का सभी प्रयास किए जाएंगे। सरकार ने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन से संबंधित पहलू एवं इस प्रकार के रूग्ण उद्यमों के पुनरूद्धार के लिए वित्त पोषण अर्थोपाय के साथ साथ इनके लिए सशक्त एवं प्रभावी उच्च प्रबंधन टीम उपलब्ध कराने पर विचार किया। इस संदर्भ में यह महसूस किया गया कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के रूग्ण उद्यमों के कायापलट करने योग्य कार्यकारी अधिकारियों को आकर्षित करने और पुनरूद्धार पैकेज की सफलता के लिए उनके कार्यकाल को निरन्तरता देने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में अनुदेश कार्यालय ज्ञापन सं. 18(11)/2005–जीएम–जीएल–88 दिनांक 24 जुलाई, 2007 जारी किया गया जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी उल्लेख है कि यदि उन केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यात्मक निदेशक जो पुनरूद्धार योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं तो उन्हें उपयुक्त प्रोत्साहन पर विचार किया जाएगा।

2. सरकार ने उपर्युक्त विषय पर विचार किया और रूग्ण/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिनके लिए सरकार ने पुनरूद्धार पैकेज का अनुमोदन किया, उन उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यात्मक निदेशकों के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया। प्रोत्साहन योजना का विवरण निम्नलिखित हैः–

(i) यह योजना रूग्ण/घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों जिनके लिए सरकार ने पुनरूद्धार पैकेज का अनुमोदन किया और पुनरूद्धार योजना में निर्धारित लक्ष्यों को समय पर प्राप्त किया, उनके पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यात्मक निदेशकों के लिए लागू होगा।

(ii) इस योजना के लिए उल्लेखित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यात्मक निदेशक संबंधित केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लाभ को निम्नलिखित दरों पर लेने के हकदार होंगे।

क्र.सं.	**सीपीएसई की अनुसूची**	***प्रस्तावित योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यात्मक निदेशकों को सामूहिक प्रोत्साहन के रूप में देय लाभ का प्रतिशत।***
1	अनुसूची – क	1%
2	अनुसूची – ख	1.5%
3	अनुसूची – ग	2%
4	अनुसूची – घ व अवर्गीकृत	2.5%

उपर्युक्त लाभ का अंश पर अनुवर्ती पैराओं में उल्लेखित शर्ते लागू होंगी।

(iii) इस योजना के अंतर्गत पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यात्मक निदेशकों को देय *सामूहिक* प्रोत्साहन वर्ष में रु. 10 लाख से अधिक नहीं होगी।

(iv) पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यात्मक निदेशकों को देय *सामूहिक* प्रोत्साहन की कुल राशि का वितरण निम्नलिखित रूप में होगा।

(क) अनुसूची 'क' और 'ख' के केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामलों में वितरण के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन की कुल राशि को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यात्मक निदेशकों में 4 : (3 X कार्यात्मक निदेशकों की संख्या) अनुपात में वितरण किया जाएगा बशर्ते नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित अधिकतम सीमा लागू हों।

(ख) अनुसूची 'ग' और 'घ' तथा 'अवर्गीकृत' केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मामलों में वितरण के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन की कुल राशि को पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कार्यात्मक निदेशकों में 7 : (5 X कार्यात्मक निदेशकों की संख्या) अनुपात में वितरण किया जाएगा बशर्ते नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित अधिकतम सीमा लागू हों।

क्रम संख्या	सीपीएसई की अनुसूची	**पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी को देय अधिकतम प्रोत्साहन (रुपए प्रति वर्ष)**	***पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशकों को देय अधिकतम प्रोत्साहन* (रुपए प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति)**
1	अनुसूची – क	2,40,000	1,80,000
2	अनुसूची – ख	2,40,000	1,80,000
3	अनुसूची – ग	2,10,000	1,50,000
4	अनुसूची – घ व गैर–श्रेणीकृत	2,10,000	1,50,000

यदि कोई मुख्य कार्यकारी अधिकारी/कार्यात्मक निदेशक वित्तीय वर्ष के किसी अवधि के लिए नियुक्त किया गया हो तो उन्हें अनुपातिक आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(v) इस योजना के उद्देश्य के लिए 'लाभ' शब्द का अर्थ है कर से पूर्व का लाभ, पूर्व अवधि के समायोजन और असाधारण मद जैसे सरकार/बैंक/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त स्वत्व त्याग (वेयवर)/रियायत/आर्थिक सहायता/निरस्तीकरण/अनुदान के पूर्व का लाभ। तथापि सरकार द्वारा चालित इस योजना के अंश के रूप में प्राप्त कोई आर्थिक सहायता हो तो लाभ की गणना के लिए उसे भी लिया जाएगा।

(vi) किसी वर्ष विशेष की प्रोत्साहन राशि की गणना उस वर्ष के अंकेक्षित (लेखा परीक्षित) लेखा के आधार पर की जाएगी और इसे कम्पनी द्वारा अनुवर्ती (अगले) वर्ष एकमुश्त रूप में भुगतान किया जाएगा। उदाहरण के लिए वर्ष 2007–08 की प्रोत्साहन राशि की गणना वर्ष 2007–08 के अंकेक्षित (लेखा परीक्षित) लेखा के आधार पर की जाएगी और इसकी भुगतान वर्ष 2008–09 में होगी।

(vii) यह योजना वर्ष 2007–08 से प्रभावी होगी। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि का पारितोषिकी समिति तथा बोर्ड के निदेशकों के अनुमोदन के पश्चात ही भुगतान किया जाएगा।

(vii) यह योजना 5 वर्षों के लिए मान्य रहेगा तदुपरान्त इसकी समीक्षा की जाएगी।

3. इस संदर्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रस्तावों को बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने वित्तीय सलाहकार की सहमति से इस संदर्भ में अंतिम निर्णय करेगा।

4. सरकार ने लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा कार्यात्मक निदेशकों सहित अधिकारियों के लिए वेतन संशोधन के अंश के रूप में निष्पादन–संबंधित वेतन को सार्वजनिक उद्यम विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(70)/08–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XVI/08 दिनांक 26.11.2008 के माध्यम से लागू किया।

इस कार्यालय ज्ञापन के पैरा 2 में उद्धृत रूग्ण एवं घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों तथा कार्यात्मक निदेशकों के पास इन दोनों योजनाओं में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प होगा अर्थात सरकार द्वारा अनुमोदित निष्पादन–संबंधित वेतन या रूग्ण एवं घाटे में चल रहे केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना।

(डीपीई का.ज्ञा. सं. 18(11)/2005–जीएम–जीएल दिनांक 17 दिसम्बर 2008)

***